

जीएसटी देश के आर्थिक विकास के लिये अमृत है - राज्यपाल

जीएसटी देश को एक सूत्र में बाधेगा - वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश

लखनऊ: 9 जून, 2017

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज होटल ताज में आयोजित संगोष्ठी 'डिजिटल ट्रांसफारमेशन एण्ड जीएसटी समिट 2017' का उद्घाटन करते हुये कहा कि लोकसभा, राज्यसभा, सरकार का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा जीएसटी के मुद्दे पर एक मंच पर आने वाले सभी अभिनन्दन के योग्य हैं। देश 1947 में आजाद हुआ। आजादी के पश्चात् 70 वर्षों में देश में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। जीएसटी मेरी दृष्टि में देश की जनता के लिये सबसे उपयुक्त कर सुधारक निर्णय है। उन्होंने कहा कि जीएसटी देश के आर्थिक विकास के लिये अमृत है।

संगोष्ठी में प्रदेश के वित्त मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी, आयुक्त वाणिज्य कर श्री मुकेश मेश्राम, माइक्रोसाॅफ्ट इण्डिया के श्री प्रशांत शुक्ला सहित अन्य विद्वत्जन भी उपस्थित थे। संगोष्ठी का आयोजन अलग-अलग चार सत्रों में किया गया है जिसमें 1 जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी पर विचार-विनिमय किया जायेगा।

राज्यपाल ने कहा कि देश के ग्राहक से लेकर व्यापारी, उद्योगपति तथा कर संग्रहण करने वाले लोग अपनी-अपनी भूमिका में इसका सहयोग करें। आर्थिक क्षेत्र में एक जुलाई से जीएसटी का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से बड़ा प्रदेश है। जनसंख्या ज्यादा होने के कारण उत्तर प्रदेश को जीएसटी का सबसे ज्यादा लाभ होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जीएसटी लागू होने से प्रदेश के विकास को नयी गति मिलेगी।

प्रदेश के वित्त मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी के बेसिक को समझकर भांति को दूर करने की आवश्यकता है। जीएसटी को लागू करने के लिये राज्यों के वित्त मंत्रियों ने एक छत के नीचे बैठकर अनेक बिन्दुओं पर चर्चा की है तथा उसे व्यवहारिक बनाने की कोशिश की है। सामान्य कर से उपभोक्ता को कैसे लाभ मिले तथा जागरूकता के लिये अनेक संगोष्ठियाँ आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कर ढांचे में परिवर्तन के साथ जीएसटी देश को एक सूत्र में बाधेगा।

अपर मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी ने कहा कि जीएसटी इस वर्ष की नहीं बल्कि इस दशक की सबसे ज्यादा बदलावकारी एवं प्रगतिशील व्यवस्था है। जीएसटी पर गहन विचार-विमर्श कर करदाताओं के हित का ध्यान रखा गया है। उपभोक्ता तथा व्यापारी के लिये जीएसटी एक प्रकार का संरक्षण है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने जीएसटी लागू करने के लिये सुदृढ़ व्यवस्था तथा हेल्पलाइन भी शुरू करने का निर्णय लिया है।

कार्यक्रम के आयोजक श्री मोहम्मद उजाले ने स्वागत उद्बोधन दिया तथा आयुक्त वाणिज्य कर श्री मुकेश मेश्राम ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

अंजुम/ललित/राजभवन (221/12)

